मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19.05.2023

क्रमांक 1232/1234356/2023/42-2:: राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु "**मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना**" निम्नानुसार लागू की जाती है:-

1. **योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,**
   (क) जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो,
   (ख) जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों, और
   (ग) जिनकी शैक्षणिक योग्यता12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

2. **योजना के तहत चयनित युवा को "छात्र-प्रशिक्षणार्थी" कहा जाएगा। छात्र-प्रशिक्षणार्थी को निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगें:-**
   - उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
   - नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
   - व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
   - मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
   - नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

3. **योजना के तहत पात्र प्रतिष्ठान:-**

देश/प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है। यह योजना समस्त श्रेणी के निजी संस्थानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि। जब तक स्पष्टतया अनुमत न किया जाए, भारत शासन, राज्य शासन, शासकीय उपक्रम तथा निजि प्रशिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत पात्र प्रतिष्ठान नहीं होंगे।

4. **योजना के तहत प्रतिष्ठानों को प्राप्त होने वाले लाभ/सुविधाएँ:-**

4.1 पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15% की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।

4.2 योजना के क्रियान्वयन में ऐसे प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जो EPF की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रतिष्ठानों के कार्यबल की गणना EPF जमा करने के आधार पर की जाएगी। इस संख्या में नियमित एवं संविदात्मक दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल होंगे।

4.3 ऐसे प्रतिष्ठान जिनके द्वारा EPF की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाएगी, उनमें कुल कार्यबल की गणना स्वघोषणा के आधार पर की जाएगी, परंतु ऐसी स्वघोषित संख्या 19 या उससे कम ही मान्य की जाएगी।

4.4 प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिये निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.5 प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

4.6 योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि तक स्टाइपेण्ड दिया जावेगा।

4.7 यदि कोई छात्र-प्रशिक्षणार्थी बीच मे प्रशिक्षण छोड़ देता है तो उसकी सूचना प्रतिष्ठान को देनी होगी।

5. प्रशिक्षण:-

योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी; इसमें समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।

6. स्टाइपेण्ड:-

प्रत्येक कोर्स के लिए देय स्टाइपेण्ड का निर्धारण प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:-

क्र.	कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	छात्र-प्रशिक्षणार्थी को भुगतान की जाने वाली स्टाइपेण्ड की कुल प्रतिमाह राशि (रु. में)
1	12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण	8000
2	आईटीआई उत्तीर्ण	8500
3	डिप्लोमा उत्तीर्ण	9000
4	स्नातक उत्तीर्ण या उच्च	10000

स्टाइपेण्ड कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

7. योजना का क्रियान्वयन:-

7.1 योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से होगा।

7.2 प्रत्येक युवा द्वारा पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरा जाएगा। आवेदक का चिन्हांकन समग्र आई.डी. के आधार पर किया जायेगा, तथा उसका e-KYC किया जाएगा।

7.3 प्रतिष्ठान द्वारा EPF जानकारी दिए जाने की स्थिति में, भारत सरकार के एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जाएगी और इसी के आधार पर प्रतिष्ठान के कुल कार्यबल का निर्धारण किया जाएगा।

7.4 प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कोर्स में से पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु वैकेंसी प्रकाशित की जाएंगी, जो उनके लिए निर्धारित प्रशिक्षण सीमा के अधीन होगी।

7.5 आवेदक योजना अंतर्गत पोर्टल पर उस कोर्स का चयन करेंगे जिसके लिए वह निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हो और प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।

7.6 प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित वैकेंसी के विरुद्ध पात्र आवेदकों को ऑनलाइन/दूरभाष/अन्यथा साक्षात्कार लिया जा कर उन्हे छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में चयनित किया जाएगा।

7.7 चयन के उपरांत प्रतिष्ठान, छात्र-प्रशिक्षणार्थी एवं राज्य शासन के अधिकृत प्रतिनिधि के मध्य एक ऑनलाइन अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

7.8 प्रशिक्षण की अवधि में छात्र प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति दर्ज किये जाने के संबंध में पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जायेंगे।

7.9 यह आवश्यक नहीं है कि प्रशिक्षण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि से आरम्भ हो। अगर प्रशिक्षण माह के बीच में शुरू होगा तो एक माह की अवधि की गणना तदनुसार की जायेगी। उदाहरणार्थ अगर प्रशिक्षण 16 जुलाई 2023 को आरम्भ हो तो प्रथम माह 15 अगस्त को समाप्त माना जावेगा। ऐसे प्रकरणों में स्टायफंड का भुगतान प्रतिष्ठान द्वारा 15 अगस्त के तत्काल बाद जमा करना अपेक्षित होगा ताकि राज्यांश का भुगतान संबंधित प्रशिक्षणार्थी को समय पर दिया जा सके।

7.10 माह में 25 दिन की उपस्थिति होने पर प्रशिक्षणार्थी को पूर्ण स्टायफंड दिया जायेगा। अगर वह 12 दिन से कम उपस्थित रहेगा तब उसे उस माह के लिए स्टायफंड की पात्रता नहीं होगी। 12 दिन से अधिक तथा 25 दिन से कम अवधि की उपस्थिति पर उन्हें अनुपातिक रूप से स्टायफंड दिया जाएगा। उदाहरणतः 20 दिन की उपस्थिति पर छात्र-प्रशिक्षणार्थी को 8000 रुपये के स्थान पर कुल 6400 रुपये की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरण में प्रतिष्ठान द्वारा 25% अर्थात् 1600 रुपये तथा राज्यांश 4800 रुपये का भुगतन किया जाएगा।

7.11 प्रत्येक माह प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को दिए गए स्टाइपेण्ड में से अपना हिस्सा छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जो कि उस कोर्स केलिए निर्धारित स्टाइपेण्ड का कम से कम 25% होगा। राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में e-KYC उपरांत DBT द्वारा जमा किया जाएगा। छात्र-प्रशिक्षणार्थी एवं प्रतिष्ठान के बीच स्टाइपेण्ड के संबंध में उत्पन्न किसी भी विषय के निवारण की प्रक्रिया के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

8. स्वीकृत बजट के अंतर्गत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, सेमिनार एवं वर्कशॉप, कंसल्टेंसी सेवाएं, आवश्यक सामग्री क्रय व प्रचार-प्रसार पर व्यय के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा।

9. उक्त नीतिगत व्यवस्था के अध्यधीन योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान के लिए निम्नानुसार साधिकार समिति द्वारा निर्णय लिए जाएंगे:-

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
	मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित विभागों के अपर मुख्यसचिव/प्रमुख सचिव/सचिव:-	
2	वित्त विभाग	सदस्य
3	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
4	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
5	श्रम विभाग	सदस्य
6	उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	सदस्य सचिव

10. योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजना के प्रावधानों में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग द्वारा समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर यथोचित निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. एम.आर. धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 19.05.2023

पृ.क्र. 1233 /1234356/2023/42-2,
प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यालय।
2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3 उप सचिव, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग।
5 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग।
5 संचालक, कौशलविकाससंचालनलाय, जबलपुर।
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी, भोपाल।
8 संबंधित कोषालय अधिकारी...।
9 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग